फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती टाकु | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 22/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीयां उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट को ही जवाब के रूप में माना जाने का निवेदन किया, पृथक से जवाब नहीं देना चाहा। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीयां द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां का नाम लेहरीबाई पत्नी देवा जाट गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में लेहरीबाई एवं टाकुबाई एक ही महिला होकर दोनो ही नाम से पुकारा जाता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थीयां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में लेहरीबाई दर्ज हैं जबकि प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम टाकुबाई पत्नी देवा जाट अंकित है। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन में भी तहसीलदार ने लेहरीबाई व टाकुबाई को एक ही महिला बताया हैं। ग्राम पंचायत जेवाणा का प्रमाण पत्र दिनांक 06.07.2021 का भी प्रस्तुत किया जिसमें भी ग्राम पंचायत द्वारा लेहरीबाई व टाकुबाई पत्नी देवा जाट एक ही महिला होना बताया है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीयां का नाम टाकुबाई होना जाहिर आया हैं। राजस्व रेकार्ड में नाम गलत होने से प्रार्थीयां को काफी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। अतः प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की खाता संख्या 180, 184, 446 व 451 में खातेदार लेहरीबाई पत्नी देवा जाट के बजाय लेहरीबाई उर्फ टाकुबाई पत्नी देवा जाट संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.07.22 17:43:36 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली